

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक —

प्रकरण क्रमांक— M-PRO-2026-03634

आवेदक : मेसर्स डी.एम. बिल्डर्स भागीदार फर्म द्वारा सी.ई.ओ.—श्री अभिषेक मानिक, पता—प्रथम तल, डी.एम. प्लाजा, राजीव गांधी चौक के पास, छोटापारा, जिला—रायपुर (छ.ग.) विरुद्ध (1) डी.एम. टावर्स रेसीडेन्सियल सहकारी समिति मर्यादित, द्वारा अध्यक्ष, श्री प्रमोद शर्मा, (2) सचिव श्रीमती सुजा जानसन, पता—डी.एम. टॉवर्स, रेसीडेन्सियल सहकारी समिति मर्या. पता—डी.एम. टॉवर्स, रावाभांठा, जिला—रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट—“डी.एम टॉवर्स”, पता—रावाभांठा, जिला—रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
25/06/2026	— प्रकरण प्रस्तुत। — आवेदक द्वारा अधिवक्ता श्री सुदीप तिवारी उपस्थित। — अनावेदकगण द्वारा अधिवक्ता श्री आजाद जोहरी उपस्थित। — आवेदक द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-31, नियम-35 के अधीन अनावेदकगण के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-31 का उद्धरण निम्नानुसार है :— “(1)कोई व्यथित व्यक्ति, यथास्थिति, किसी संप्रवर्तक, आबंटिती या भू-संपदा अभिकर्ता के विरुद्ध अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के किसी अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए, यथास्थिति, प्राधिकरण या न्यायनिर्णायक अधिकारी को परिवाद फाईल कर सकेगा। स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ‘व्यक्ति’ के अंतर्गत आबंटियों का संगम, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम भी है। (2)उपधारा(1) के अधीन कोई परिवाद फाईल करने का प्ररूप, रीति और फीस वह होगी, जो विहित की जाए। उक्त प्रावधानों के उद्धरण से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा किसी संप्रवर्तक या भू-संपदा अभिकर्ता के विरुद्ध अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के किसी अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि आवेदक द्वारा डी.एम. टॉवर्स रेसीडेन्सियल	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक —

प्रकरण क्रमांक— M-PRO-2026-03634

आवेदक : मेसर्स डी.एम. बिल्डर्स भागीदार फर्म द्वारा सी.ई.ओ.—श्री अभिषेक मानिक, पता—प्रथम तल, डी.एम. प्लाजा, राजीव गांधी चौक के पास, छोटापारा, जिला—रायपुर (छ.ग.) विरुद्ध (1) डी.एम. टावर्स रेसीडेन्सियल सहकारी समिति मर्यादित, द्वारा अध्यक्ष, श्री प्रमोद शर्मा, (2) सचिव श्रीमती सुजा जानसन, पता—डी.एम. टॉवर्स, रेसीडेन्सियल सहकारी समिति मर्या. पता—डी.एम. टॉवर्स, रावाभांठा, जिला—रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट—“डी.एम टॉवर्स”, पता—रावाभांठा, जिला—रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	सहकारी समिति मर्यादित द्वारा अध्यक्ष श्री प्रमोद शर्मा तथा सचिव श्रीमती सुजा जानसन के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्राधिकरण का अभिमत है कि प्रस्तुत प्रकरण प्राधिकरण में सुनवाई का विचारण क्षेत्राधिकार नहीं है। अस्तु आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता है। प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / — (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / — (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	